

एसईसी-1/187(2)/2026/2709

दिनांक: 3 फरवरी, 2026

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई -400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051.	Corporate Relationship Department BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: मीडिया / प्रकाशन में समाचार वस्तुओं का स्पष्टीकरण - सरकार राज्य संचालित संस्थाओं पीएफसी और आरईसी के विलय पर विचार कर रही है।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय आपके दिनांक 3 फरवरी, 2026 की ईमेल के संदर्भ में है जिसमें हाल ही में "https: / /economictimes.indiatimes.com"/"www.economictimes.com" दिनांक 2 / 3, 2026 में प्रकाशित "सरकार द्वारा राज्य संचालित संस्थाओं पीएफसी और आरईसी के विलय पर विचार" शीर्षक से छपी खबर पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सर्वप्रथम, यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी"/"कंपनी") कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी का यह निरंतर प्रयास रहता है कि वह किसी भी घटना या जानकारी की सूचना तुरंत स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को दे, जिसका उसकी प्रतिभूतियों की कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उक्त समाचार और शीर्षक विषय से संबंधित कोई भी चर्चा कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी / विवरण पर आधारित नहीं है। कंपनी इस तरह की किसी भी चर्चा या बातचीत में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, 1 फरवरी, 2026 को, माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2026-27 के दौरान निम्नलिखित घोषणा की:

विकसित भारत के लिए एनबीएफसी के लिए दृष्टिकोण को ऋण वितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ रेखांकित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी में पैमाने को प्राप्त करने और दक्षता में सुधार करने के लिए, पहले चरण के रूप में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है

इसके अतिरिक्त, दिनांक 3 फरवरी, 2026 की ई-मेल के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के बिंदुवार उत्तर निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	पूछताछ	कंपनी का प्रस्तुतीकरण
क)	क्या इस तरह की बातचीत / घटनाएँ नहीं हो रही थीं? यदि ऐसा है, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप उक्त जानकारी को बातचीत / घटनाओं की शुरुआत से लेकर आज तक के घटनाक्रम के अनुसार प्रदान करें	नहीं

क्षेत्रीय कार्यालय: बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय: वडोदरा, वाराणसी
प्रशिक्षण केंद्र: आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

ख)	क्या आप / कंपनी किसी ऐसी जानकारी से अवगत हैं जो एक्सचेंजों को घोषित नहीं की गई है और जो ट्रेडिंग (शेयरों के उतार की गतिविधि को (चढ़ाव-स्पष्ट कर सके, यदि कोई हो? इसके अलावा, आपको उक्त जानकारी और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत आवश्यक एक्सचेंजों को पहले यह जानकारी न देने के कारण प्रदान करने की सलाह दी जाती है।	नहीं
ग)	नियामक / कानूनी कार्यवाही के मामले में कृपया कार्यवाही की शुरुआत / परिणाम पर जानकारी प्रदान करें (केवल बीएसई द्वारा मांगी गई)	लागू नहीं
	कंपनी पर इस लेख का भौतिक प्रभाव।(केवल एनएसई द्वारा मांगा गया है)	बजट घोषणा पर अगली बोर्ड बैठक में विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है।

कृपया ध्यान दें कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसकी घोषणा स्टॉक एक्सचेंजों को नहीं की गई है, और जिसकी घोषणा कंपनी द्वारा लिस्टिंग विनियमों के संदर्भ में की जानी चाहिए थी। हमने लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में खुलासे किए हैं और आगे भी करना जारी रखेंगे।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,
आरईसी लिमिटेड के लिए
Digitally Signed
(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी